



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276769
CG-DL-E-03102026-276769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 269]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

सेतु केस आईडी - AD/OI/053/2026

विषय: चीन जन. गण. से मॉटेल्कास्ट सोडियम के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/50/2026—डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मॉटेल्कास्ट

सोडियम (जिसे इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित कोई व्यापार उपचार जांच न तो पूरी हो चुकी है और न ही वर्तमान में चल रही है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “मॉटेलुकास्ट सोडियम” है। मॉटेलुकास्ट सोडियम, मॉटेलुकास्ट का सोडियम लवण है, जिसका आणविक सूत्र $C_{35}H_{35}ClNaO_3S$, आणविक भार लगभग 608.17 ग्राम/मोल तथा CAS सं. 151767-02-1 है। इसकी आपूर्ति सामान्यतः सफेद से धूमिल-सफेद रंग के चूर्ण के रूप में की जाती है।
4. पीयूसी का उपयोग मुख्यतः श्वसन एवं एलर्जी संबंधी विकारों, जिनमें दमा, राइनाइटिस तथा व्यायाम-प्रेरित ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की रोकथाम हेतु फॉर्मुलेशन शामिल हैं, के उपचार एवं प्रबंधन के लिए औषधीय फॉर्मुलेशनों के विनिर्माण में सक्रिय औषधीय संघटक (एपीआई) के रूप में किया जाता है; तथा इसका उपयोग टैबलेट, चबाने योग्य टैबलेट, मुखीय ग्रैन्यूल तथा निश्चित-खुराक संयोजन उत्पादों में किया जा सकता है। आवेदन में कहा गया है कि पीयूसी मुक्त रूप से आयात योग्य है; पीयूसी का आयात, विनिर्माण, बिक्री और वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित है; और उत्पाद का विनिर्माण एवं व्यापार मान्य औषधकोशीय मानकों के अनुसार किया जाता है।
5. पीयूसी के दायरे में मॉटेलुकास्ट सोडियम के सभी रूप, ग्रेड, शुद्धताएं, कण आकार और पैकेजिंग शामिल हैं, चाहे उन्हें औषधीय ग्रेड, वाणिज्यिक ग्रेड, ग्राहक-विशिष्ट ग्रेड अथवा किसी अन्य नामकरण से वर्णित किया गया हो, बशर्ते उत्पाद में मॉटेलुकास्ट सोडियम की मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हों।
6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई किलोग्राम (किग्रा.) है।
7. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 2933 39 90, 2933 49 90, 2933 99 90 और 2942 00 90 के अंतर्गत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को भेजी जाएंगी।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित मॉटेल्कास्ट सोडियम और चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

10. आवेदन मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने भारत में पीयूसी के अनेक अन्य उत्पादकों की पहचान की है और कहा है कि सीमित संख्या में स्थापित उत्पादकों को छोड़कर शेष प्रत्येक उत्पादक का कुल भारतीय उत्पादन में केवल अल्प अनुपात है। आवेदक ने आगे कहा है कि उसने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है। आवेदन का कोई समर्थक नहीं है।
11. आवेदक ने कहा है कि कुछ भारतीय उत्पादक पीयूसी का विनिर्माण मुख्यतः निर्यात के लिए अभिप्रेत अनुवर्ती फॉर्मूलेशनों के विनिर्माण में आबद्ध खपत हेतु करते हैं और पीयूसी को घरेलू बाजार में नहीं बेचते हैं; तदनुसार, आवेदक ने ऐसे उत्पादकों के उत्पादन को छोड़कर तथा उसे शामिल करके, दोनों आधारों पर, कुल भारतीय उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आबद्ध खपत के लिए अभिप्रेत उत्पादन का व्यवहार, नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के प्रयोजनार्थ समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण को प्रभावित करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों ही आधारों पर आवेदक समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात रखता है और नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत विहित अनुपात से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, तथा किसी अन्य भारतीय उत्पादक ने आवेदन के समर्थन या विरोध में कोई मत व्यक्त नहीं किया

है। अतः जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि मुख्यतः आबद्ध खपत में संलग्न उत्पादकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का हिस्सा है या नहीं; इस प्रश्न की, तथा प्रत्येक ज्ञात भारतीय उत्पादक के उत्पादन की, जांच के दौरान परीक्षा की जाएगी।

12. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. जांच की अवधि

14. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
16. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, तथा उसके पास बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को समान वस्तु की कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अतः आवेदक ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, अपने भारत औसत उत्पादन लागत में उचित लाभ मार्जिन जोड़कर समायोजन करते हुए, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा 7, उसमें निर्दिष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध न होने की

स्थिति में, किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में चुकाई गई या चुकाई जाने वाली कीमत को उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु विधिवत समायोजित करना भी शामिल है। आवेदक द्वारा दावा की गई पद्धति पर जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है; बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के आधार की उपलब्धता तथा निर्मित सामान्य मूल्य के घटकों की जांच के दौरान परीक्षा की जाएगी।

ii. निर्यात कीमत

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई मॉटेल्कास्ट सोडियम की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा तथा लदान और उतराई प्रभारों के संबंध में उचित समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं और उसने इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को सौदा-वार आयात आंकड़ों के साथ पढ़ने पर प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि संबद्ध आयात, जो क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में शून्य थे, वर्ष 2024-25 में शुरू हुए और जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में तीव्रता से बढ़े, जिससे उन्होंने भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त की, जबकि अन्य स्रोतों से आयात नगण्य बने रहे। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान तेजी से घटी और घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से नीचे रही। इसी अवधि में घरेलू उद्योग की विक्रय लागत बढ़ी, जबकि उसकी बिक्री कीमत में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई और वह उसकी विक्रय लागत से नीचे रही। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी घटी, उसकी मालसूची बढ़ी तथा उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक हो गया।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से नीचे होने के बावजूद, उसकी बिक्री कीमत से मामूली रूप से ऊपर रही; अतः संबद्ध आयात प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं। ऐसे आयातों का प्रतिकूल कीमत प्रभाव इस रूप में प्रकट होता है कि घरेलू उद्योग अपनी बढ़ी हुई विक्रय लागत की वसूली के लिए कीमतें बढ़ाने में बाधित है और मांग की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता की सीमा तक पीयूसी का उत्पादन और बिक्री करने में भी असमर्थ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। मांग की प्रवृत्ति के साथ-साथ अन्य ज्ञात कारकों की जांच के दौरान परीक्षा की जाएगी, ताकि ऐसे कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, को पाटित आयातों के लिए उत्तरदायी न ठहराया जाए।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
22. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने तथा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 20(2)(ख) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में अपेक्षित नहीं है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/053/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।
25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/053/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां संलग्न सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित

निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोधों पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
32. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
34. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।

35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
38. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।
39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
41. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

42. प्राधिकारी, उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

SETU Case ID – AD/OI/053/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Montelukast Sodium from China PR.

F. No. 6/50/2026-DGTR.— 1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Morepen Laboratories Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Montelukast Sodium (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or the 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports of the subject goods from China PR and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. It has been stated in the application that there are no concluded or ongoing trade remedy investigations relating to the product under consideration.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Montelukast Sodium”. Montelukast Sodium is the sodium salt of montelukast, having the molecular formula $C_{35}H_{35}ClNNaO_3S$, a molecular weight of approximately 608.17 g/mol and CAS No. 151767-02-1. It is generally supplied as a white to off-white powder.
4. The PUC is primarily used as an active pharmaceutical ingredient (API) in the manufacture of pharmaceutical formulations for the treatment and management of respiratory and allergic disorders, including asthma, rhinitis and formulations for the prevention of exercise-induced bronchoconstriction, and it may be used in tablets, chewable tablets, oral granules and fixed-dose combination products. It has been stated in the application that the PUC is freely importable, that the import, manufacture, sale and distribution of the PUC are regulated under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the rules framed thereunder, and that the product is manufactured and traded in accordance with recognised pharmacopeial standards.
5. The scope of the PUC includes Montelukast Sodium in all forms, grades, purities, particle sizes and packaging, whether described as pharmaceutical grade, commercial grade, customer-specific grade or by any other nomenclature, provided that the product has the essential characteristics of Montelukast Sodium.
6. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Kilograms (KG).
7. The product under consideration has been imported under tariff items 2933 39 90, 2933 49 90, 2933 99 90 and 2942 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
8. The applicant has not proposed a Product Control Number (“PCN”) methodology. All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the proposed PCN methodology within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

B. Like article

9. The applicant has stated that there is no known difference between Montelukast Sodium produced by the applicant and the subject goods exported from China PR. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject country.

C. Domestic industry & standing

10. The application has been filed by Morepen Laboratories Limited. The applicant has identified a number of other producers of the PUC in India and has stated that, apart from a limited number of established producers, the remaining producers account individually for only a small proportion of the total Indian production. The applicant has further stated that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any producer or exporter of the subject goods in the subject country or to any importer of the subject goods in India. There is no supporter of the application.
11. The applicant has stated that certain of the Indian producers manufacture the PUC primarily for captive consumption in the manufacture of downstream formulations intended for export and do not sell the PUC in the domestic market, and has accordingly furnished its share of the total Indian production both excluding and

including the production of such producers. The Authority notes that the treatment of production intended for captive consumption bears upon the determination of the total Indian production of the like article for the purposes of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules. The Authority notes that on either basis the applicant accounts for a major proportion of the total Indian production of the like article and for more than the proportion prescribed under Rule 5(3) of the Rules, and that no other Indian producer has expressed either support for or opposition to the application. For the purpose of initiation it is therefore not necessary to determine whether the production of producers engaged primarily in captive consumption forms part of the total Indian production, and that question, together with the production of each of the known Indian producers, shall be examined in the course of the investigation.

12. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject country

13. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation

14. The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

15. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
16. The applicant has submitted that information relating to the cost and price of the PUC in a market economy third country is not available in the public domain, and that it has no information with respect to the price of the like article from a market economy third country to other countries including India. The applicant has therefore constructed the normal value for China PR in terms of paragraph 7 of Annexure-I, based on its own weighted average cost of production adjusted to include a reasonable profit margin. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure-I permits the determination of normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include a reasonable profit margin, where the anterior bases specified therein are not available. The methodology as claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation, and the availability of a market economy third country basis, as well as the elements of the constructed normal value, shall be examined in the course of the investigation.

ii. Export price

17. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of Montelukast Sodium as reported in DG Systems transaction-wise import data. Appropriate adjustments have been considered on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, inland freight, and loading and unloading charges to arrive at the ex-factory export price.

iii. Dumping margin

18. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin in respect of the product under consideration imported from China PR is positive and above the *de minimis* level. There is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped into the domestic market of India by exporters from the subject country.

G. Injury and causal link

19. The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from China PR are causing material injury to the domestic industry and has furnished *prima facie* evidence in support thereof. The information furnished by the applicant, read with the transaction-wise import data, *prima facie* shows that the subject imports, which were nil during the first two years of the injury period, commenced in 2024-25 and increased sharply during the period of investigation, both in absolute terms and in relation to the production and demand in India, attaining a significant share of the Indian market, while imports from other sources remained negligible. The landed price of the subject imports declined steeply during the period of investigation and remained below the cost of sales of the domestic industry. The cost of sales of the domestic industry increased during that period while its selling price did not increase commensurately and was below its cost of sales. The production, capacity utilization, domestic sales and market share of the domestic industry declined, its inventories increased, and its profits, cash profits and return on capital employed turned negative during the period of investigation.
20. The Authority notes that the volume of the subject imports is not *prima facie* negligible. The Authority further notes that the landed price of the subject imports, though below the cost of sales of the domestic industry, remained marginally above its selling price, so that the subject imports are *prima facie* not undercutting the prices of the domestic industry, the adverse price effect of such imports being manifested in the constraint on the ability of the domestic industry to raise its prices to recover its increased cost of sales and also in its inability to produce and sell the PUC to the extent of its capacity to cater to demand. The Authority also notes that the demand for the subject goods in India declined during the period of investigation. Having regard to Annexure-II to the Rules, the Authority *prima facie* considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material injury to the domestic industry and of a causal link between the alleged dumping and such injury. The movement in demand, together with the other known factors, shall be examined in the course of the investigation so that injury, if any, caused by such factors is not attributed to the dumped imports.

H. Initiation of anti-dumping investigation

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential material injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
22. The applicant has requested the Authority to issue preliminary findings and to recommend imposition of provisional anti-dumping duty in terms of Rule 13 of the Rules, to recommend retrospective imposition of anti-dumping duty in terms of Rule 20(2)(b) of the Rules read with Section 9A of the Act. The Authority notes that these requests do not fall for determination at the stage of initiation. The same shall be considered, if and to the extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their comments thereon within the time limit prescribed in this notification.

I. Procedure

23. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

24. All the interested parties are required to register themselves on **SETU Portal (<http://setu.dgtr.gov.in>)**. All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/053/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.
26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (<http://dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

K. Time limit

28. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/053/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.

32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
42. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority